प्रेस नोट

परिक्षेत्र आजमगढ़

दिनांक 19.09.2020

जनपद आजमगढ़

थाना कन्धरापुरः पुलिस मुठभेड़ के दौरान दो 25-25 हजार रुपये के इनामिया सहित कुल 03 लुटेरे नाजायज असलहा, लूटी गयी टैबलेट, नकदी व चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद आजमगढ, सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एव वांछित/ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के द्दष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर, पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी नगर/लालगंज के कुशल निर्देशन में दिनांक 18/09/2020 को प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर सिंह मय हमराह संदिग्ध व्यक्ति व वाहनो की चेकिंग करते हुए भँवरनाथ चौराहे पर मौजूद थे कि कुछ देर बाद वही पर प्रभारी स्वाट निरीक्षक प्रशान्त कुमार, निरीक्षक देवप्रकाश, उ0नि0 प्रकाश शुक्ला मय हमराह व प्रभारी मेंहनगर राजेश कुमार मिश्र मय हमराही मिले। पुलिस बल द्वारा आपस में अपराध एवं अपराधियो तथा ईनामिया अभियुक्तगणो के सम्बन्ध में बातचीत की जा रही थी कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि किशुनदासपुर की ओर से एक काले रंग की स्पलैण्डर प्लस मोटर साईकिल पर तीन बदमाश नाजायज असलहा एवं लूट के सामान के साथ भँवरनाथ चौराहे होते हुए आजमगढ शहर में कोई गम्भीर घटना को अन्जाम देने जा रहे है। इस सूचना पर पुलिस बल को उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराकर सिलनी नदी पुल के पास दोनो तरफ गाढ़ाबंदी किया गया कि थोड़ी देर में एक मोटर साईकिल से तीन व्यक्ति आते दिखायी दिये, जिनको रुकने का ईशारा किया गया तो पीछे बैठे दोनो बदमाशों ने पुलिस पार्टी को लक्ष्य बनाकर जान मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस बल द्वारा प्रशिक्षित तरीके से बचाव

कर हिकमत अमली से सिखाये तरीके से आवश्यक बल प्रयोग करते हुए तीनो बदमाशो को समय 14.25 बजे किशुनदासपुर वाले रास्ते पर गिरफ्तार किया गया।

पकड़े गये व्यक्तियो का नाम पता पूछने पर उन्होने अपना नाम क्रमशः 1. मनीष यादव उर्फ मोनू यादव पुत्र सुखराम यादव निवासी खानपुर रघुबरराय, थाना सादियाबाद, जिला गाजीपुर 2. अमित विश्वकर्मा पुत्र भानू प्रताप विश्वकर्मा, निवासी किशुनपुरा रामपुर बलभद्र, थाना सादियाबाद (गाजीपुर) 3. दीपक शर्मा पुत्र स्व0 छोटेलाल शर्मा, निवासी गजेन्द्रपुर कहिनौर, थाना सरायलखन्सी, जिला मऊ बताया। मौके पर जामातलाशी से 02 अदद देशी तमंचा, 03 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस 315 बोर, एक अदद देशी तमंचा एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस 303 बोर बरामद हुआ। साथ ही मेंहनगर के मु0अ0सं0-194/2020 धारा 394,411, 120बी भादवि में लूटी गयी माल मशरूका क्रमशः एक अदद टैबलैट सैमसंग, एक अदद भारत फाईनेन्स की रजिस्टर, 96 अदद रिसिप्ट, 4900 रूपये तथा एक छोटी बैग बरामद हुआ तथा मौके से एक अदद मोटरसाईकिल नं0-यूपी 50 जे 9196 बरामद हुआ। बरामद मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में जनपद मऊ के थाना चिरैयाकोट में मु0अ0सं0-194/2020 धारा 379 भा0द0वि0 पंजीकृत है, जो उसी थाने पर तैनात सिपाही आनन्द यादव की है। अभियुक्त दीपक शर्मा व अभियुक्त अमित विश्वकर्मा पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ द्वारा 25-25 हजार रूपये का इनाम पूर्व में घोषित किया था।

उपरोक्त बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर 1. मु0अ0सं0-117/2020 धारा 307,41,411,420,467,468,471 भादवि थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ 2. मु0अ0सं0- 118/2020 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर आजमगढ बनाम मनीष यादव 3. मु0अ0सं0-119/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर आजमगढ बनाम अमित विश्वकर्मा 4. मु0अ0सं0-120/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर आजमगढ बनाम दीपक शर्मा पंजीकृत किया गया है ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगणः</u>

1. मनीष यादव उर्फ मोनू यादव पुत्र सुखराम यादव निवासी खानपुर रघुबर राय थाना सादियाबाद जनपद गाजीपुर ।

2. दीपक शर्मा पुत्र स्व0 छोटे लाल शर्मा निवासी ग्राम गजेन्द्रपुर कहिनौर थाना सरायलखन्सी मऊ ।

3. अमित विश्वकर्मा पुत्र भानू प्रताप विश्वकर्मा निवासी ग्राम किशुनपुर रामपुर बलभद्र थाना सादियाबाद गाजीपुर

पंजीकृत अभियोगः

1. मु0अ0सं0 117/2020 धारा307,41,411,420,467,468,471 भादवि थाना कन्धरापुर आजमगढ।
2. मु0अ0सं0- 118/2020 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर आजमगढ बनाम मनीष यादव।
3. मु0अ0सं0-119/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर आजमगढ बनाम अमित विश्वकर्मा।
4. मु0अ0सं0-120/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर आजमगढ बनाम दीपक शर्मा

आपराधिक इतिहास अभियुक्त दीपक शर्माः

1. मु0अ0सं0-355/17 धारा 394,411 भादवि थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
2. मु0अ0सं0-116/2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मरदह, जनपद गाजीपुर।
3. मु0अ0सं- 194/2020 धारा 379,411 भादवि थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ।
4. मु0अ0सं0- 124/2020 धारा 394,411,120बी भादवि थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ।
5. मु0अ0सं0- 117/2020 धारा 307,41,411,420,467,468,471 भादवि थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ।
6. मु0अ0सं0-120/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास मनीष यादव उर्फ मोनू यादवः

1. मु0अ0सं0- 123/18 धारा 457,380,411 भादवि थाना सादियाबाद जनपद गाजीपुर।
2. मु0अ0सं0- 16/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सादियाबाद जनपद गाजीपुर।

3. मु0अ0सं- 194/2020 धारा 379,411 भादवि थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ ।
4. मु0अ0सं0- 117/2020 धारा 307,41,411,420,467,468,471 भादवि थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ ।
5. मु0अ0सं0- 118/2020 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर आजमगढ ।

<u>आपराधिक इतिहास अमित विश्वकर्मा</u>

1. मु0अ0सं0- 124/2020 धारा 394,411,120बी भादवि थाना मेहनगर जनपद आजमगढ ।
2. मु0अ0सं- 194/2020 धारा 379,411 भादवि थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ ।
3. मु0अ0सं0- 117/2020 धारा 307,41,411,420,467,468,471 भादवि थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0-119/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर आजमगढ ।

<u>बरामदगी</u>

1. एक अदद देशी तमंचा 303 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 303 बोर
2. दो अदद देशी तमंचा 315 बोर ,03 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस 315 बोर
3. एक अदद टैबलेट सैमसंग
4. 96 अदद भारत फाईनेन्स इन्क्लूजन लिमिटेड का रीसिप्ट नं0-M807/ 38947 (INDUSLAND BANK)
5. एक अदद सेन्ट्रल मीटिंग रजिस्टर
6. 4900 रूपये नकद
7. कम्पनी/समूह की लूटी बैग ।
8. एक अदद चोरी की मोटरसाईकिल स्पलेण्डर प्लस ।

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम</u>

1. निरीक्षक प्रशान्त कुमार, प्रभारी स्वाट टीम 2, मय हमराह जनपद आजमगढ़।
2. प्रभारी निरीक्षक कन्धरापुर शिवशंकर सिंह, मय हमराह थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।
3. प्रभारी मेहनगर राजेश मिश्र, मय हमराह थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़।
4. निरीक्षक देवप्रकाश, स्वाट टीम-2, जनपद आजमगढ़।
5. उ0नि0 प्रकाश शुक्ला, स्वाट टीम-2, जनपद आजमगढ।
6. का0 प्रदीप कुमार पाण्डेय, स्वाट टीम-2 आजमगढ़।
7. का0 विनोद सरोज, स्वाट टीम-2 आजमगढ़।
8. का0 सनी नागर स्वाट टीम-2 आजमगढ़।

साइबर सेल/थाना सिधारीः प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना फार्म पर लोगों के अंगूठे का छाप लेकर उसकी बायोमेट्रिक क्लोनिंग के जरिये AEPS के माध्यम से जनता के खातों से लाखों रूपये उड़ाने वाले 02 साइबर अभियुक्त गिरफ्तार, बने हुए क्लोन फिंगर प्रिन्ट एवं बनाने के उपकरण बरामद

दिनांक 16.09.2020 को श्री सुजीत यादव एवं ग्राम विहरोजपुर, आजमगढ़ के कई अन्य लोगो द्वारा थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ पर शिकायत दर्ज करायी गयी कि उनके बैंक खातो से विभिन्न तिथियों में आधार कार्ड के माध्यम से साइबर अपराधियों द्वारा लाखों रुपये निकाल लिए गये है, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 152/20 धारा 419, 420 भा0द0वि0 व 66सी/66डी आई0टी0 एक्ट बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा उक्त प्रकरण का संज्ञान लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अपराध श्री सुधीर जायसवाल के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक सिधारी व साईबर सेल को घटना के अनावरण एवं संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। घटना के अनावरण में लगी टीमों द्वारा साक्ष्य विकसित करने पर पता चला कि यह अपराध बायोमेट्रिक क्लोनिंग के जरियें AEPS के माध्यम से किया गया है। विवेचना के दौरान अभियुक्त 1- राकेश कुमार पुत्र बसन्तु निवासी ग्राम खुरसो, थाना फूलपुर, आज़मगढ़ 2- आदित्य कुमार जिज्ञासु पुत्र जगदीश चंद निवासी हरबंशपुर, थाना सिधारी, आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया, जिन्हे प्रभारी निरीक्षक सिधारी श्री अंशुमान यदुवंशी मय टीम एवं प्रभारी साइबर सेल मनीष सिंह द्वारा आज दिनांक 19.09.2020 को समय रात 01.50 बजे हरबंशपुर तिराहे से गिरफ्तार किया गया है, जिन्हे विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण कर मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u>

अभियुक्त गण से गहनता से पूछताछ की गयी तो यह तथ्य सामने आया कि यह लोग प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के नाम पर गाँव में जाते है और उसका लाभ दिलाने के नाम पर लोगों से आधार कार्ड एवं अन्य डिटेल लेकर एक अंगूठे की छाप ले लेते है। फिर उसी अंगुठे की निशान को बटर पेपर पर स्कैन कर लेते है उसके बाद बटर पेपर को रबर पर रखकर थंब इम्प्रेशन मशीने के माध्यम से इम्प्रेश करते है, जिससे उस अंगूठे का निशान रबर या पॉलीमर पर आ जाता है और उस व्यक्ति के अंगूठे का क्लोन फिंगरप्रिंट तैयार हो जाता है। उसके बाद AEPS बैंकिंग आईडी (इको पे) से क्लोन फिंगरप्रिंट के माध्यम से आधार कार्ड से लिंक बैंक

खातो से रुपये निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम कई लोगो का फिंगरप्रिंट का क्लोन बनाकर बैंकिंग धोखाधड़ी कर आर्थिक लाभ कमाते हैं।

<u>पंजीकृत अभियोगः-</u>

1. मु0अ0स0- 152/20 धारा 419, 420 भादवि 66सी/66डी आईटी थाना सिधारी, आजमगढ़।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगणः-</u>

1- राकेश कुमार पुत्र बसन्तु निवासी ग्राम खुरसो थाना फूलपुर, आजमगढ़।

2- आदित्य कुमार जिज्ञासु पुत्र जगदीश चंद निवासी हरबंशपुर, थाना सिधारी, आजमगढ़।

Conmen lure villagers with Ayushman Bharat scheme

Steal from their bank accounts, 2 held

AZAMGARH: The police have arrested two cyber criminals who have collected money in their accounts through biometric cloning by imprinting the logo of the logo on the Prime Minister Ayushman Yojana . Police have recovered clone fingerprints and fingerprint making equipment from the arrested cyber criminals. On September 16, the people of Birojpur, including the victim of a similar incident, Sujit Yadav, had lodged a complaint at Sidhari police station that lakhs of rupees were withdrawn from their bank accounts through Aadhaar card on various dates. Seeing the seriousness of the case, the police registered a case and started investigating. On Saturday, police arrested two people in this case. Giving information about the incident, Superintendent of Police Azamgarh Sudhir Kumar Singh said that taking cognizance of the case, under the direction of Additional Superintendent of Police Sudhir Jaiswal, in-charge Inspector Sidhari and Cyber Cell were given the responsibility of unveiling the incident and arresting the accused. He told that this crime has been done through biometric cloning. The first accused, Rakesh Kumar, son of Basantu Phulpur police station, and the second accused Aditya Kumar, curious son Jagdish Chand, are from Harbanshpur of Sidhari police station. Incharge inspector Sidhari Anshuman Yaduvanshi, incharge cyber cell Manish Singh, along with the team, arrested the duo from Harbanshpur Tirahe. During the interrogation, the accused told that both the accused used to go to the village in the name of Ayushman Yojana and take a thumb impression of the Aadhaar card and other details from the people in the name of getting its benefits. Then the same thumbprint is scanned on the butter paper, then after putting the butter paper on the rubber, press the thumb impression machine through which the thumb impression comes on the rubber or polymer and the clone fingerprint of that person's thumb gets dressed. After that, through fingerprints, they withdraw money from the bank accounts linked to the Aadhar card. The accused said that they have committed banking fraud by cloning the fingerprints of many people.

<u>बरामदगीः-</u>

1-प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना फॉर्म- 10 अदद
2-बटर पेपर- 02 अदद
3-बने हुए क्लोन फिंगरप्रिंट-02 अदद
4-रबर के टुकड़े
5-फिंगर थम्ब इम्प्रेशन मशीन

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक सिधारी श्री अंशुमान यदुवंशी
2. उ0नि0 श्री आर0पी0 सिंह, थाना सिधारी
3. का0 मनीष सिंह, साइबर सेल आज़मगढ़,
4. का0 अमलेश सिंह थाना सिधारी
5. का0 अभिमित तिवारी, थाना सिधारी
6. का0 सत्येंद्र यादव साइबर सेल।

थाना दीदारगंजः चोरी की 05 मोटरसाइकिल, 01 अवैध तमंचा एवं 01 जिंदा कारतूस के साथ एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित, ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 19.09.2020 को थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 जगदीश प्रसाद विश्वकर्मा, हे0का0 मनोज यादव, कान्स0 दीवाकर सिंह, कान्स0 राजू गौड़, कान्स0 टार्जन गौड़, कान्स0 प्रमोद यादव व म0का0 अनामिका सिंह सेंगर के देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम, तलाश वांछित अपराधी एंव वारण्टी, संदिग्ध वाहनो एवं व्यक्तियो की चेकिंग सिसवारा, गम्भीरपुर रोड गोसड़ी नहर पुलिया पर चेकिंग कर रहे थे कि सिसवारा कि ओर से दो मोटरसाइकिल पर एक-एक व्यक्ति आते हुये दिखाई दिये कि पुलिस वालो को देखकर संदिग्ध अवस्था में मो0 सा0 सवार दोनो व्यक्ति अपनी-अपनी मो0सा0 मोड़ कर वापस भागने का प्रयास करने लगे कि अचानक मो0सा0 सवार एक व्यक्ति ने पुलिस वालो पर जान से मारने की नियत से अवैध असलहा से फायर कर दिया कि हम पुलिस वाले सिखलाये तरीके से अपना बचाव किये और बाल बाल बच गये। तभी मो0सा0 सवार अचानक गिर गये। बदमाश की आंशका पर हम पुलिस वालो ने घेर दौड़कर आवश्यक पुलिस बल का प्रयोग करके समय करीब 05.00 बजे सुबह एक व्यक्ति को पकड लिया गया तथा दूसरा व्यक्ति मोटर साइकिल छोड़कर धान के खेतों से अन्धेरे का लाभ उठाकर भागने मे सफल हो गया।

पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम श्रीकान्त राम पुत्र कमलेश राम, निवासी ग्राम मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष बताया, जिसकी जामा तलाशी से पहने हुए पैण्ट की फेंट (बायीं)से खुसा हुआ एक अदद तमंचा देशी .315 बोर बरामद हुआ तथा पैण्ट की दाहिनी जेब से एक अदद कारतूस जिन्दा .315 बोर बरामद हुआ। तमंचा व कारतूस रखने का लाइसेंस तलब किया गया तो दिखाने से कासिर रहा। भागे गये व्यक्ति अभियुक्त के बारे में पूछने पर उसका नाम श्याम बचन उर्फ अन्तु पुत्र स्व0 रामश्री, निवासी ग्राम अरारा, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ बताया व और यह भी बताया कि श्याम बचन उर्फ अन्तू ही पल्सर काले रंग की मो0सा0 को चला रहा था तथा इसी ने ही पुलिस वालो पर जान से मारने की नियत से अवैध असलहा से फायर किया था, जो अभी-2 मो0सा0 पल्सर छोड़कर भाग गया हैं और हम लोगो का एक गैंग है। हम लोग मिलकर मो0सा0 की चोरी करते है तथा उसका नम्बर प्लेट बदलकर फिर उनको बेचकर पैसा कमाते है। मैं व श्याम बचन उर्फ अन्तू ने मिलकर जनपद जौनपुर व आस-पास के जनपदो से कई मोटर साइकिलें चुराई है। मेरे पास जो मो0सा0 है, उन्हीं मे से 02 मो0सा0 को लेकर आज मैं व श्याम बचन उर्फ अन्तू ग्राहक की तलाश में जा रहा था कि आप मिले व मुझे पकड़ लिया। श्याम बचन उर्फ अन्तू मौके से भाग गया हैं। कडाई से पूछताछ करने पर बताया कि इन मोटर साइकिलों के अलावा मेरे पास 03 मो0सा0 है, जिन्हे अभियुक्त के बताये गये स्थान से प्राप्त कर कब्जा पुलिस मे लिया गया है । अन्य वैधानिक कार्य अमल मे लायी जा रही है ।

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 158/2020 धारा 307/41/411/413/414/419/420/467/468/471 भा0द0वि0, थाना दीदारगंज, आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 159/2020 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम, थाना दीदारगंज, आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. श्रीकान्त राम पुत्र कमलेश राम निवासी ग्राम मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 158/2020 धारा 307/41/411/413/414/419/420/467/468/471 भा0द0वि0, थाना दीदारगंज, आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 159/2020 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम, थाना दीदारगंज, आजमगढ़।

फरार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. श्याम बचन उर्फ अन्तु पुत्र स्व0 रामश्री निवासी ग्राम अरारा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

<u>अपराधिक इतिहासः-</u>

(1) मु0अ0सं0 158/2020 धारा 307/41/411/413/414/419/420/467/468/471 भा0द0वि0, थाना दीदारगंज, आजमगढ़।
(2) मु0अ0सं0 135/2020 धारा 307 भा0द0वि0 थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ।
(3) मु0अ0सं0 107/2019 धारा 379,411 भा0द0वि0 थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ।
(4) मु0अ0सं0 82/2019 धारा 379 भा0द0वि0 थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ ।
(5) मु0अ0सं0 237/19 धारा 41/411,413,419,420,467,468,471 भा0द0वि0 थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ ।

<u>बरामदगीः-</u>

(1) एक अदद नाजायज तंमचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर ।
(2) 05 अदद चोरी की मोटर साइकिले ।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

(i) SO धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ।
(ii) उ0नि0 जगदीश प्रसाद विश्वकर्मा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ।
(iii) हे0का0 मनोज कुमार यादव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ।
(iv) का0 राजू गौड़ थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ।
(v) का0 टार्जन गौड़ थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ।
(vi) का0 प्रमोद यादव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ।
(vii) म0का0 अनामिका सिंह सेंगर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ।

गिफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा ₹5000 की राशि से पुरस्कृत किया गया है।

थाना सरायमीरः पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक असलहा तस्कर गिरफ्तार तथा 01 अदद पिस्टल 32 बोर, 02 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस 32 बोर सहित 02 मैगजीन बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एव वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अवैध मादक पदार्थ/अवैध असलहा तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ एव क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन में दिनांक 18.09.2020 को सरायमीर पुलिस एवं स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर ने सूचना दिया कि अभी जो असलहा तस्कर पकड़कर जेल भेजे गये है, उन्ही के दो साथी जो अपराधी/लूटेरे है, डिस्कवर गाड़ी यूपी 62 AH 5787 से बड़ी वारदात करने के लिए खपड़ा गाँव से सरायमीर के तरफ आने वाले है। इस सूचना पर पुलिस टीम मंजरीपट्टी जाने वाले मार्ग पर पहुंची कि खपड़ा गांव की तरफ से मोटरसाइकिल से दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये, जिसको पुलिस बल द्वारा रुकने का इशारा करने पर मोटसाइकिल घुमाकर भागने का प्रयास करने पर पीछे बैठा व्यक्ति लडखडा कर उतर गया और जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया । पुलिस बल द्वारा प्रशिक्षित तरिके से अपना बचाव करते हुए उक्त व्यक्ति को घेरकर आवश्यक बल प्रयोग कर समय 18.30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया तथा दूसरे व्यक्ति पतली पगडण्डी रास्तो का फायदा उठाकर मोटरसाईकिल लेकर भागने में सफल रहा । गिरफ्तार व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम शेखर यादव पुत्र राजबहादुर यादव निवासी सैय्यद बहाउद्दीनपुर, थाना बरदह, जनपद आजमगढ बताया तथा मौके पर जामातलाशी से अभियुक्त शेखर यादव के पास से एक अदद पिस्टल, दो अदद जिन्दा कारतूस, एक अदद खोखा कारतूस 32 बोर तथा दो अदद मैगजीन बरामद हुआ। फरार अभियुक्त का नाम पता पूछने पर दिनेश यादव पुत्र सतई यादव निवासी बिठ्ठलपुर, थाना गौरा बादशाह, जनपद जौनपुर तथा जिस गाड़ी से वह फरार हुआ है उसका नम्बर UP 62 AH 5787 बताया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर 1. मु0अ0सं0- 175/2020 धारा 307 भादवि 2. मु0अ0सं0- 176/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1- शेखर यादव पुत्र राजबहादुर यादव निवासी सैय्यद बहाउद्दीनपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ

<u>पंजीकृत अभियोगः-</u>

1. मु0अ0सं0- 175/2020 धारा 307 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ ।

2. मु0अ0सं0- 176/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ

<u>फरार अभियुक्तः-</u>

1. दिनेश यादव पुत्र सतई यादव निवासी बिठ्ठलपुर थाना गौरा बादशाह जनपद-जौनपुर

<u>बरामदगीः-</u>

1. एक अदद पिस्टल, 02 अदद जिन्दा कारतूस, 01 अदद खोखा कारतूस 32 बोर
2. 02 अदद मैगजीन
3. एक अदद मोटरसाईकिल नम्बर UP 62 AH 5787

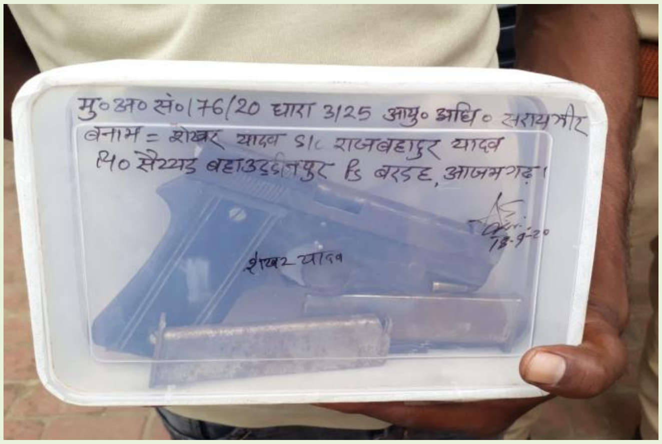

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक थाना सरायमीर, अनिल सिंह मय हमराह जनपद आजमगढ।
2. प्रभारी निरीक्षक स्वाट टीम, दिनेश कुमार सिंह मय हमराह जनपद आजमगढ।